



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

सामुदायिक केब्ड की नीलामी

हेतु विवरण पुरितका एवं आवेदन पत्र

निविदा डालने का स्थान :
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सभागार, गाजियाबाद

आवेदन पत्र विक्रय किये जाने का दिनांक एवं समय
05 दिसम्बर 2019 से 20 दिसम्बर 2019
प्रात 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रापुरम अभयखण्ड-3 एवं
कोयल एन्कलेव के सामुदायिक केन्द्रों को 10 वर्षों हेतु लीज/अनुबन्ध पर
दिये जाने हेतु आवेदन की नियम एवं शर्तें**

1. पात्रता :-

सामुदायिक केन्द्रों को अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु कोई भी व्यक्ति / फर्म संस्था जिसका विधिक व्यक्तित्व हो नीलामी में भाग ले सकते हैं।

2. पंजीकरण :

किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / पे- ऑर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी की दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ नीलामी स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा कराकर टोकन प्राप्त कर लेगा। आवेदन-पत्र एवं विवरण पुस्तिका गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं किन्तु डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में रु. 1100.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही वैध / मान्य होगा।

आवेदन पत्र रु. 1100.00 के भुगतान पर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 05.12.2019 से 20.12.2019 तक निम्नलिखित स्थानों / काउन्टर्स से प्राप्त किये जा सकते हैं:-

1. जनसम्पर्क कार्यालय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ गाजियाबाद।
2. व्यावसायिक अनुभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ गाजियाबाद।

3. नीलामी प्रक्रिया :

- (i) बोलीदाता / निविदादाता को विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो सत्यापित कराते हुए निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के साथ नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक बोली स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा करना होगा, जिसके पूर्ण / सही पाये जाने पर बोली में भाग लेने हेतु टोकन जारी किया जायेगा।
- (ii) उपाध्यक्ष / नीलामी अधिकारी सभी सामुदायिक केन्द्रों अथवा किसी भी एक सामुदायिक केन्द्र की नीलामी जनहित / प्राधिकरण हित में स्थगित कर सकते हैं।
- (iii) सामुदायिक केन्द्रों की नीलामी आरक्षित दर से अधिक से आरम्भ की जायेगी। दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जायेगा।
- (iv) जिस बोलीदाता द्वारा सामुदायिक केन्द्र हेतु बोली दी जायेगी, उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (V) जो व्यक्ति / संस्था खुली नीलामी में भाग न लेते हुए अपनी बोली की निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे निर्धारित निविदा / बोली प्रपत्र को विवरण पुस्तिका में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार भरेंगे। आवेदक / निविदादाता हस्ताक्षरित निविदा / बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में देय तथा पासपोर्ट आकार के सत्यापित फोटो के साथ लिफाफे को सील करके प्राधिकरण सभागार में रखी गयी सील बन्द निविदा-पेटी में नीलामी की निर्धारित तिथि को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक डालेगा। इसके उपरान्त सील्ड निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फोटो का सत्यापन करने हेतु राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी / बैंक अधिकारी सक्षम होंगे।

- (vi) निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो निविदा फॉर्म के साथ सीलबन्द लिफाफे के ऊपर बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी दशा में चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (vii) सील्ड बिड के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में योजना का नाम, आवेदित सामुदायिक केन्द्र एवं आवेदक का नाम व पता अंकित करना आवश्यक होगा। अन्यथा सील्ड बिड खोली नहीं जायेगी।
- viii) यदि कोई निविदा अपूर्ण यथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट, सत्यापित फोटो हस्ताक्षर अथवा वांछित प्रपत्रों के बिना होगी तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदाओं/बोलियों जिसमें उच्चतम निविदा/बोली भी सम्मिलित होगी, को अस्वीकार कर दें।
- (ix) यदि आवेदक की निविदा/बोली निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (x) योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।
- (xi) निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा नियत दिनांक तथा समय तक निविदा पेटी में डाल दी गयी है। डाक द्वारा भेजी गयी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (xii) आवेदक को निविदा दर अंकों तथा शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त किया जा सकता है। अंकों तथा शब्दों में निविदा दर भिन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गयी निविदा दर मान्य होगी।
- (xiii) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को नीलामी समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने एवं किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी बोलीदाता द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकेगी।
- (xiv) कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु अर्थारिटी लेटर भी संलग्न करना होगा।
- (xv) यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (xvi) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। नीलामी के समय अथवा नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नीलामी की सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति “जहाँ है—जैसा है” के आधार पर नीलाम की जायेगी।

4. आवंटन प्रक्रिया :

- (i) आवंटन निविदा तथा बोली दोनों में प्राप्त सर्वोच्च दर पर किया जायेगा। सर्वप्रथम नीलामी हेतु खुली बोली सम्पन्न की जायेगी, इसके उपरान्त निविदा खोली जायेगी। खुली नीलामी के अन्तर्गत प्राप्त उच्चतम बोली एवं निविदा पेटी में प्राप्त सील्ड निविदा की दर जो भी उच्च होगी, उसी की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
- (ii) नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बिना ब्याज के मूल रूप में वापिस कर दिये जायेंगे। सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि अनुज्ञाप्ति हेतु प्राप्त उच्चतम मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
- (iii) सफल आवेदक को आवंटन—पत्र पंजीकृत डाक ए.डी. के साथ अथवा प्रोसेस सर्वर द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

5. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क :

सामुदायिक केन्द्र की अनुज्ञाप्ति रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख निर्धारित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा नगर निगम व राज्य सरकार द्वारा यदि कोई कर आरोपित किया जाता है तो आबंटी को स्वयं वहन करना होगा।

6. किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
7. फॉल ऑफ हैमर पर—कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) नीलामी तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करानी होगी। शेष 75 प्रतिशत एक माह के अन्दर जमा कराकर अनुबन्ध/एम०ओ०य०० निष्पादित करानी होगी। अन्यथा आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि यदि विलम्ब से जमा की जाती है तो 14 प्रतिशत की दर से पैनल ब्याज देय होगा।
8. सफल निविदादाता को प्रतिभूति के रूप में रु 5.00 लाख (पाँच लाख) प्राधिकरण कोष में अलग से जमा कराने होंगे, जो लाइसेंस अवधि समाप्त होने के उपरान्त बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। यदि किसी प्रकार की टूटफुट/मरम्मत आदि में कोई व्यय निकलता है अथवा देयता बचती है तो उसके समायोजन के उपरान्त ही अवशेष प्रतिभूति वापस की जायेगी।
9. कार्य संचालन की अवधि अनुबन्ध/एम०ओ०य०० की तिथि से 10 वर्ष तक निर्धारित किया जाय। निविदादाता द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रति वर्ष प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि निविदित/उद्धरण की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के लिए निविदित धनराशि 1 के प्रारम्भ होने से पूर्व जमा करानी होगी तथा 05 वर्ष के पश्चात् निविदादाता की पिछली वार्षिक देय धनराशि में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष धनराशि जमा करानी होगी।
10. अनुबन्ध/एम०ओ०य०० अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात् मध्य रात्रि के उपरान्त प्रातः से संचालक के समस्त अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उसे किसी भी रूप में प्रयोग करने अथवा मौके पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। यदि संचालक फिर भी सामुदायिक केन्द्र में मौके पर किसी भी रूप में बना रहता है तथा अपना सामान नहीं हटाता है तो उसे बलपूर्वक प्राधिकरण द्वारा निष्कासित कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

तथा इस प्रक्रिया में लगने वाली अवधि का हर्जाना 50,000.00 प्रतिदिन की दर से वसूला जायेगा।

11. योजना/कालोनी के निवासियों को समुचित साक्ष्य जैसे निवास प्रमाण पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा आर0डब्ल्यू0ए0 की अनुशंसा पर तथा प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु लाइसेंस अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 धारक को निर्धारित बुकिंग धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान की जायेगी।
 12. प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना के सामुदायिक केन्द्र हेतु अधिकतम आरक्षित मूल्य 49,000.00 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा कोयल एन्कलेव योजना हेतु 41,000.00 +18 प्रतिशत जी0एस0टी0 निर्धारित होगी, जिसे निविदादाता द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से उच्च पर बुकिंग नहीं की जायेगी।
 13. निविदादाता द्वारा की जाने वाली बुकिंग आदि पर प्राधिकरण का अंकुश रखने हेतु बुकिंग ऑन—लाईन की जायेगी तथा उसका लिंक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साफ्टवेयर/वेबसाईट से किया जायेगा।
 14. निविदादाता द्वारा प्राधिकरण की निर्धारित दरों से अधिक दर पर बुकिंग नहीं की जायेगी, निर्धारित दरों से कम बुकिंग करने पर प्राधिकरण का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
 15. निविदादाता द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क समय से जमा न करने अथवा एम0ओ0यू0/डीड की की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा अपनी देयता का समायोजन प्रतिभूति धनराशि से करने के उपरान्त ही अवशेष प्रतिभूति धनराशि वापिस की जायेगी।
- कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 20.12.2019 को मध्याह्न 12.30 बजे प्राधिकरण सभाकक्ष में आयोजित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

उपरोक्त सम्पत्तियों का विवरण तथा नियम व शर्तें निम्नवत् है :-

क्र.सं	सामुदायिक केन्द्र का नाम	सामुदायिक केन्द्र की लोकेशन	सामुदायिक केन्द्र का कुल अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामुदायिक केन्द्र का आच्छादित अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस किराया (प्रति वर्ष रूपये)	लाइसेंस अवधि	धरोहर राशि	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम आरक्षित मूल्य
1	इन्दिरापुरम	अभयखण्ड-3 में सड़क संख्या-9 व 10 ए के जंक्शन पर	1234.63	386.27	14.00 लाख	दस वर्ष	7.50 लाख	49000.00 + 18% जी0एस0टी0
2	कोयल एन्कलेव	कोयल एन्कलेव	3441.78	625.00	12.00 लाख	दस वर्ष	6.00 लाख	41000.00+ 18% जी0एस0टी0

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दरापुरम अभयखण्ड-३ एवं
कोयल एन्कलेव के सामुदायिक केन्द्रों को लीज/अनुबन्ध पर
आवंटन हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र संख्या :

Application From No.

1. आवेदक का नाम:
Name of the Applicant (in block letters)
2. पिता/पति का नाम:
Father/Husband's Name:
3. उम्र :
Age:
4. पूरा पता :
Full Address:
ए. स्थायी पता:
(a) Permanent Address
बी. पत्र-व्यवहार का पता:
(b) Correspondence Address
सी. टेली फोन नं० :
(c) Telephone No./:
मोबाईल नं० :
Mobile No.:
ई-मेल :
E-mail:
5. व्यवसाय:
Occupation:

राजपत्रित
अधिकारी/नोटरी
पब्लिक द्वारा
सत्यापित फोटो

Paste a passport size
phot attested by
Gazetted Officer/
Public Notary

आवेदित सम्पत्ति का विवरण Particulars of Property

1. सम्पत्ति संख्या:
Property Number
2. सम्पत्ति का क्षेत्रफल:
Area of Property (sq. mts.)
3. योजना एवं ब्लॉक/सैक्टर :
Name of the Colony & Sector
4. भुगतान प्लान का विकल्प (प्लान ए अथवा प्लान बी):
Payment of the Plan adopted (Plan A or Plan B)
5. सम्पत्ति क्रय करने हेतु ऑफर (रु/वर्ग मीटर) (अंकों में):
Offer for purchase of Property (Rs./sq.mt.) (in words)
6. धरोहर राशि रु:
Earnest Money
- बैंक ड्राफ्ट सं.
Bank Draft No.
- दिनांक
Date
- बैंक
Bank

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the Authority.

दिनांक
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)
(Officer conducting auction)
(नोट-द्वारा-1 (iii) के अनुसार भापथ-पत्र संलग्न किया जाना आव यक होगा)

पदनाम
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रापुरम अभयखण्ड-३ एवं
कोयल एन्कलेव के सामुदायिक केन्द्रों को लीज/अनुबन्ध पर
आवंटन हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र संख्या :
Application From No.

1. आवेदक का नाम:
Name of the Applicant (In block letters)
2. पिता / पति का नाम:
Father/Husband's Name:
3. बाली स्वयं या कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट आदि द्वारा दी जा रही है।
ए. यदि बाली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं बोली दिये जाने हेतु एपोरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
(a) If bid is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company society, firm or trust and authorization letter should be produced
बी. यदि बाली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
(b) If the bid is for company, society firm or trust its registration letter should also be produced
4. उम्र :
Age:
5. पूरा पता :
Full Address:
ए. स्थायी पता :
Permanent Address
बी. पत्र-व्यवहार का पता:
Correspondence Address
सी. टेली फोन नं० : मोबाइल नं० : ई-मेल :
Telephone No./: Mobile No.: E-mail:
6. ए. व्यवसाय :
Occupation:
बी. भुगतान पलान का विकल्प:
Payment plan adopted:
सी. आवेदित सम्पत्ति का विवरण:
Particulars of Property:
1 सम्पत्ति संख्या:
Property Number:
3 योजना एवं ब्लाक / सेक्टर :
Name of the Colony & Sector:
डी. नीलामी का विवरण:
1. नीलामी की तिथि
Date of Auction
2 जमा धरोहर राशि का विवरण
Details of earnest money deposited
3 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या
G.D.A.'S receipt No दिनांक
Dated

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि ग्रोफर्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the Authority.

दिनांक
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित
Countersigned by


(नीलामी अधिकारी)
(Officer conducting auction)
(नोट-धारा-१ (iii) के अनुसार भाष्ठ-पत्र संलग्न किया जाना आव यक होगा)

पदनाम
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी
पब्लिक द्वारा सत्यापित फाटा

Paste a passport size
photop attested by Gazetted
Officer/Public Notary

Cost 1100/-



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O. 9001-2015 एवं I.S.O. 14001-2015 प्रमाणित संस्था

विकास पथ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन नं.: 0120-3342433 एस.एम.एस.: 9818988807

ई-मेल : helplinegda@gmail.com : @gdagzb : @gdagzb

एक सुन्दर शहर..... हमारा संकल्प